जांच के दौरान कैम्पर वाहन से 6.43 लाख रुनए नगद बरामद

घरघोड़ा पुलिस और फ्लाईंग स्क्वॉड की कार्यवाई में संदिग्ध रकम की जब्ती कर घरघोड़ा पुलिस ने दी इलेक्शन सेल को सूचना

रायगढ़। चुनाव से पहले रायगढ़ पुलिस एक्शन मोड़ पर नजर आ रही है। कल जिला मुख्यालय के दो अलग-अलग स्थानों से 4 वाहनों से मिले नकद रकम जप्त कर पुलिस ने कार्रवाई की, घरघोड़ा क्षेत्र में घरघोडा पुलिस और फ्लाईंग स्क्वॉड की जांच कार्रवाई में एक कैम्पर (पीकअप) वाहन से 6 लाख 43 हजार 800 रूपये बरामद हुआ है। रविवार की रात एसएसपी सदानंद कुमार ने सभी थाना प्रभारियों की वर्चुअल मीटिंग लेकर की जा रही कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त कर बैठक में फ्लाईंग स्क्वॉड (FST) के साथ अपने-अपने इलाकों में अलर्ट रहकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था जिसके बाद से जिले में सिलसिलेवार कार्रवाई देखी जा रही है।

दिनांक 17.10.2023 को धरमजयगढ़ विधानसभा के घरघोडा क्षेत्र में फ्लाईंग स्क्वॉड-2 व थाना घरघोडा की संयुक्त टीम द्वारा जांच कार्यवाही दौरान घरघोडा बंगाली ढाबा चौक के पास एक पीकप(कैम्पर) क्रमांक सीजी 14 डी 0591 को रोककर चेक किया गया। कैम्पर में सवार दामोदर यादव पिता चन्द्रोराम यादव उम्र 36 साल निवासी लिप्ती थाना कापू जिला रायगढ़ के पास रखे बैग को चेक करने पर बैग में 6 लाख 43 हजार 800 रूपये बरामद हुआ। पूछताछ में कैश के संबंध में दामोदर यादव कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए और ना ही कोई वैध कागजात प्रस्तुत किया गया। घरघोड़ा पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन के दृष्टिगत बरामद हुये नकदी 6,43,800 रूपये की विधिवत जप्ती कार्यवाही कर चुनाव सेल, पुलिस कार्यालय को कार्यवाही की सूचना दिया गया। थाना घरघोडा में एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, नायाब तहसीलदार सहोदर राम साय एवं थाना प्रभारी घरघोडा निरीक्षक शरद चन्द्रा द्वारा कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी गई।

फॉर्च्यूनर गाड़ी से बरामद हुआ 5 लाख रुपए कैश, नियमों के उल्लंघन पर पूंजीपथरा पुलिस ने की कार्यवाई

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीमें वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है जिससे राजनैतिक दलों के अवैध प्रचार-सामाग्री, मादक पदार्थ एवं संदिग्ध वस्तुओं का परिवहन रोका जा सके। इसी क्रम में दिनांक 17/10/2023 के शाम पूंजीपथरा थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्णकांत के नेतृत्व में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग दौरान सरायपाली तिराहा पर एक काले रंग के चार पहिया फॉर्च्यूनर वाहन सीजी 13 ए.एल./0007 को रोक कर चेक किया गया।

जांच दल ने ड्राइवर सीट में बैठे व्यक्ति को उसके बगल वाली सीट में रखे थैली के संबंध में पूछताछ किया गया। वाहन में बैठा व्यक्ति रोहतास नेहरा पिता हरिश्चंद्र नेहरा उम्र 45 वर्ष निवासी आशीर्वादपुरम कॉलोनी रायगढ़ हाल मुकाम सरायपाली थाना पूंजीपथरा ने थैले के अंदर 5 लाख रुपए नकद होना बताया, जिसे पुलिस अधिकारी ने आचार संहिता के नियमों के अनुरूप 50,000 रूपये से अधिक की राशि परिवहन के संबंध में पूछताछ कर उचित व वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया। मौके पर वाहन में उपस्थित व्यक्ति द्वारा रकम के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, पूंजीपथरा पुलिस द्वारा धारा 102 सीआरपीसी के अंतर्गत रु. 500-रु. 500 के 10 नोट बंडल रूपये जुमला 5 लाख को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह ने बताया कि शाम प्रधान आरक्षक राम प्रसाद यादव व हमराह आरक्षक उमाशंकर भगत, निर्दोष लकड़ा सरायपाली तिराहा पर वाहन चेकिंग की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान फॉर्च्यूनर वाहन से संदिग्ध रकम रु. 5,00,000 बरामद हुआ जो जिले में प्रभावशील आचार संहिता नियमों का उलंघन होना पाये जाने पर विधिवत जप्ती कार्रवाई की गई है जिसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को दी गई है।

चक्रधरनगर पुलिस और उड़नदस्ता दल की संयुक्त कार्यवाई में कार से जब्त किया गया 4 लाख रुपए कैश

बोईरदादर मार्ग पर चेकिंग दौरान बोलेरो वाहन से बरामद हुई रकम

रायगढ़। दिनांक 16 अक्टूबर के शाम जूटमिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जूटमिल पुलिस और उड़नदस्ता दल (FST) द्वारा तीन कार से 15 लाख 64 हजार 500 नगद रकम जप्त कर विधि अनुरूप कार्यवाही किया गया है। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रु. 50,000 से अधिक कैश परिवहन के समय संबंधित व्यक्ति को पुलिस/उड़नदस्ता दल को उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय पुलिस व उड़नदस्ता दल लगातार जांच कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में कल रात FST टीम- 2 के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा निर्धारित सेक्टर में भ्रमण कर अवैध रूप से लगाये गये पोस्टर, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र से राजनैतिक प्रचार-प्रसार चेक करने के साथ बोईरदादर रोड़ पर अवैध प्रचार सामग्री एवं संदेहास्पद संपत्ति परिवहन की आशंका पर चक्रधरनगर पुलिस के साथ वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दरमियान एक सफेद रंग के बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 12 बी0जेड0 6933 को रोक कर चेक करने पर ड्राइवर सीट के बगल में एक थैला में कुछ संदेहास्पद वस्तु देखा गया। वाहन में मौजूद महिपाल सिंह पिता शिवचरण सिंह उम्र 61 वर्ष निवासी कृष्णा नगर थाना कोतवाली रायगढ़ से थैले के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने थाले में नगद रूपये होना बताया, टीम द्वारा चेक करने पर थैले में 500, 100 और 20 के नोट कुल रु. 4,01,120 होना पाया गया। रूपयों के संबंध में महिपाल सिंह से पूछताछ कर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत नोटिस देकर पुलिस ने मौके पर संदिग्ध रकम की धारा 102 सीआरपीसी के तहत जप्ती कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही में गौरव पटेल (जीएसटी), प्रशांत राव आहेर (निरीक्षक थाना प्रभारी चक्रधरनगर), प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, आरक्षक विनोज लकड़ा, वनरक्षक राजेश उरांव और वाहन चालक मेल प्रकाश मिंज की अहम भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण एवं खास

मंदिर परिसर में सुसाइड की कोशिश, कुंड में कूदा शख्स

रतनपुर (आरएनएस)। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है. पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक एक अधेड़ मंदिर परिसर में खुद पर आग लगाकर कुंड में कूद गया. इस घट्ना से मंदिर पहुंचे लोग सहम गए. वही इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने अधेड़ को घायल अवस्था में अस्पताल ले गया. फ़िलहाल मामले में सुसाइड को लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आई है. अधेड़ कहां से आया था इसका पता पुलिस लगा रही है. स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अधेड़ से पूछताछ की जाएगी।

बाइक सवार दो दोस्तों को ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

जशपुर (आरएनएस)। पत्थलगांव के समीप कल देर रात करंगाबहला में हुए इस हादसे के बाद एक दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं दूसरे दोस्त ने पत्थलगांव सिविल अस्पताल पहुंच कर दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद चालक अपनी वाहन छोड़ कर मौके से फरार हो गया है. इस घटना को लेकर पत्थलगांव स्थ्हक्क हरिश पाटिल ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती अपनी मां को देख कर वापस घर लौट रहे थे. इस दौरान यह हादसा हुआ।

ईएसएमएस एप्प पर एफएसटी और एसएसटी दल को मिला प्रशिक्षण

सूरजपुर (आरएनएस)। जिला पंचायत सभा कक्ष में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की नोडल अधिकारी, अपर कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी), फ्लाईंग स्क्वायड (एफएसटी) टीम के प्रभारी अधिकारियों को ईएसएमएस एप्प पर प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने हेतु ईडीएम मोहितेष्वर साहू द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी नयनतारा सिंह द्वारा एफएसटी, एसएसटी टीम के सदस्यों को कर्तव्यों का निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के मार्गदर्शिका के संदर्भ में नियमों से अवगत कराया गया।

27 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

तराईमाल बाजारपारा में पूंजीपथरा पुलिस की शराब रेड कार्यवाही

रायगढ़। अवैध शराब पर कार्रवाई के क्रम में दिनांक 17/10/2023 को थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम तराईमाल बाजारपारा का सागर चौहान घर में चोरी-छिपे अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री करता है। थाना प्रभारी द्वारा थाने से प्रधान आरक्षक राम प्रसाद यादव के हमराह स्टाफ कार्रवाई के लिये रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा ग्राम तराईमाल बाजारपारा जाकर सागर चौहान को अवैध शराब बिक्री के संबंध में तलब कर कड़ी पूछताछ किया जो अपने घर के बाड़ी में छिपा कर रखा हुआ महुआ शराब 10-10 लीटर वाली दो जरकिन में पूरा भरा हुआ और एक 10 लीटर वाली जरकिन में करीब 7 लीटर शराब कुल 27 लीटर महुआ शराब, कीमत रु. 2,700 लाकर पेश किया जिसे गवाहों के समक्ष पूंजीपथरा पुलिस द्वारा जब्ती किया गया। आरोपी सागर चौहान पिता विजय चौहान उम्र 35 साल निवासी ग्राम सुबरा थाना लैलूंगा हाल मुकाम बाजारपारा तराईमाल के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह के निर्देशन पर शराब रेड कार्यवाही में प्रधान आरक्षक राम प्रसाद यादव, आरक्षक उमाशंकर भगत, निर्दोष लकड़ा, महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर शामिल थे।

रैरूमाखुर्द पुलिस की सक्रियता से फॉरेस्ट बैरियर पर पकड़ा गया गांजा तस्कर, बाइक पर कर रहा था गांजे की तस्करी

आरोपी से तीन किलो गांजा व बाइक जब्त, की गई एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई

रायगढ़। जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 निष्पक्ष व शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा एवं समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारीगण के मार्गदर्शन व नेतृत्व पर सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत मादक पदार्थों की अवैध खरीदी-बिक्री, परिवहन और सामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर सीमावर्ती क्षेत्र ओड़िसा, झारखंड से मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर थाना लैलूंगा, धरमजयगढ़, तमनार, चौकी रैरूमाखुर्द पुलिस क्षेत्र में मुखबीर सक्रिय कर प्रमुख बैरियर व चेक पोस्ट पर सभी आने-जाने वालों की सघन पतासाजी की रही है।

इसी कड़ी में कल दिनांक 16/10/2023 के शाम मुखबिर सूचना पर चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उप निरीक्षक ऐनु देवांगन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बाकारूमा फॉरेस्ट बैरियर में घेराबंदी कर एक संदिग्ध होंडा साइन मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 13 यू.एफ. 2847 को पकड़ा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि व्यक्ति एक व्यक्ति साइन बाइक पर उड़ीसा से गांजा लेकर लैलूंगा की ओर से रैरूमा की ओर आ रहा है। घेराबंदी में पकड़े गए व्यक्ति अपना नाम सगाराम पिता पहादेव सारथी उम्र 43 साल निवासी चरखापारा पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द का रहने वाला बताया जिसे नाकेबंदी की कार्यवाही से अवगत कराते हुए विधिवत चेक करने पर सगाराम के मोटरसाइकिल डिक्की के अंदर तीन अलग-अलग प्लास्टिक के पैकेट में कुल 3 किलो 50 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती रु. 36,000 मिला जिसे आरोपी सगराम द्वारा बिक्री करने के लिए लेकर आना बताया। आरोपी से जप्त 3 किलो 50 ग्राम गांजा कीमत 36,000 रुपए और मोटरसाइकिल होंडा साइन सीजी 13 यू.एफ. 2847 कीमत रु. 60,000 और एक नग मोबाइल कीमत रु. 1,000 कुल कीमत 97 हजार रुपए की जप्ती कर आरोपी पर पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द (थाना धरमजयगढ़) में धारा 20 (B) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उत्तम मेमोरियल कालेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

रायगढ़। अरविन्द कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जितेन्द्र कुमार ठाकुर, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रायगढ़ के द्वारा छात्र/छात्रों को मोटरयान अधिनियम से संबंधित जानकारी दी गई। जगदीश राम, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश रायगढ़ के द्वारा भी छात्र/छात्रों को टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम 2005 के संबंध में यह जानकारी दी गई कि छ.ग.राज्य के अंतर्गत पुराने समय से ही जादू-टोना जैसी कुरीतियां एवं अंधविश्वास व्याप्त है। केवल इतना नही बल्कि महिलाओं को टोनही के नाम से कलंकित एवं प्रताडित भी किया जा रहा है और समाज में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मान्यता के कारण ही अत्याचार, कलह एवं हिंसा का वातावरण बना रहता है। छ.ग.टोनही प्रताडऩा अधिनियम 2005 के नाम से इस अधिनियम का निर्माण किया जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता कायम हो सके और टोनही के नाम से उपेक्षित एवं प्रताडि़त व्यक्तियों को विधिक सुरक्षा प्रदान की जा सकें तथा शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में जानकारी दिया गया।

गुलापन राम यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के द्वारा साईबर से होने वाले अपराध के संबंध में जानकारी दिया गया तथा बच्चों को गुड-टच बेड-टच से भी अवगत कराया गया। प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा बच्चों को पाक्सों एक्ट के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि पाक्सों एक्ट का मतलब प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आर्फेस एक्ट है इसे 2012 में लागू किया गया था ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध साबित करता है, यह कानून 18 साल के कम उम्र के लड़के और लड़कियों पर समान रूप से लागू किया जाता है।

सौरभ बारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा बच्चों को साईबर से होने वाले अपराध के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी कंप्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है, कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नही होता है, किसी कि निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साईबर अपराध है। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में प्राचार्य उत्तम मेमोरियल कालेज तथा कर्मचारीगण, विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ से पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम में 200 संख्या में छात्र/छात्रों ने विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से लाभान्वित हुए।

बाइक सवार से 15 किलो चांदी जब्त

कोरबा (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जांच कर रही पुलिस ने हरदीबाजार क्षेत्र में बाइक सवार व्यक्ति से 15.087 किलोग्राम चांदी पकड़ा। हरदीबाजार पुलिस ने बताया कि हरदीबाजार. बलौदा रोड खनिज नाका बैरियर के पास मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर सभी आने जाने वाहनों की जांच की जा रही थी।

इसी दौरान बलौदा की ओर से बाइक में आ रहे एक व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की। उसने अपना नाम नाम सुरेश सोनी 47 वर्ष निवासी बलौदा जिला जांजगीर-चांपा का रहने वाला बताया। उसकी बाइक में जांच करने पर डिक्की में रखे चांदी के आभूषण करीबन 15.087 किलो ग्राम कीमत 10,50,000 रूपये मिला। बिल मांगने पर कोई सुरेश उपलब्ध नहीं करा सका। इस पर पुलिस ने वस्तु को संदिग्ध होने पर धारा 102 अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जब्त किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजऱ अवैध कैश फ्लो व अवैध कार्य पर अंकुश लगाने पुलिस द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस दौरान वाहन जांच कर रही पुलिस ने एक युवक के पास से जेवरात जब्त किया। मानिकपुर पुलिस ने बताया कि वाहन जांच के दौरान पटेल पारा निवासी मनोज मैटी के पास गला हुआ सोना और सोने के आभूषण 34 ग्राम व चांदी के आभूषण 1.926 ग्राम कुल कीमत 3.06 लाख बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने आभूषण के संबंध में न तो बिल दिखाया और नहीं कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया।

महिला मतदाताओं ने दीप जलाकर शत प्रतिशत मतदान का दिया संदेश, निष्पक्ष मतदान कराने का लिया संकल्प

सारंगढ़-बिलाईगढ़। लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा आगामी विधानसभा में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत सोमवार को संध्या में सारंगढ़ के खेलभांठा मैदान में अधिकारियों कर्मचारियों संग 1000 महिला मतदाताओं द्वारा दीपोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, डीएफओ गणेश यू आर, अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, एसडीएम मोनिका वर्मा एवं डॉ स्निग्धा तिवारी, सीईओ संजू पटेल समेत विधानसभा 17 और 43 के रिटर्निंग आफिसर शामिल हुए।

स्वीप दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में "सारंगढ़ बिलाईगढ़, सब्बो जाबो वोट देहे बर" का नारा लगाते हुए शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया। साथ ही उपस्थित सभी अधिकारी - कर्मचारियों एवं महिला मतदाताओं ने निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प भी लिया। ज्ञातव्य है कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन तथा स्वीप के नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में स्वीप अंतर्गत जिले में अनेक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी, महिला समूह, अधिकारी-कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि बढ़-चढ़कर शामिल हो रहे हैं।

फ्लाइंग स्क्वायड टीम बेहतर तरीके से करें कार्य- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

सामग्री वाहनों की जांच के समय वैध दस्तावेज के रूप में टैक्स इनवाइस अथवा ई-वे बिल होना जरूरी

जीएसटी अधिकारी ने कार्यवाही के संबंध में फ्लाइंग स्क्वायड टीम को दिया प्रशिक्षण

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने फ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं स्थैतिक निगरानी टीम की बैठक ली। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी हैं। आगामी 17 नवम्बर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं को लुभाने, प्रभावित करने वाले समग्रियों पर सख्ती से कार्यवाही करें। जिसके लिए सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को बेहतर तरीके से कार्य करना होगा। जीएसटी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं, सभी बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें एवं कही भी शंका होने पर उसका समाधान प्राप्त करें।

जीएसटी अधिकारी पैकरा ने बताया कि निर्वाचन में प्रलोभन के लिए दी जाने वाली मुफ्त की वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किचन समान आदि के परिवहन वाहनों की जांच के समय वैध दस्तावेज के रूप में टैक्स इनवाइस अथवा ई-वे बिल होना आवश्यक हैं। उन्होंने दोनों बिलों के जांच के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने कार्यवाही के दौरान होने वाले शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान भी प्राप्त किया। इस दौरान एफएसटी को सी-विजिल के उपयोग करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ ही किए गए कार्यवाही को इएसएमएस (इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम) में अपडेट करने संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जांच के फलस्वरूप वस्तुओं के जप्त होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति वैध दस्तावेज के साथ कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 21 में उपस्थित होकर अपनी जप्त सामग्रियों को प्राप्त कर सकते हैं। आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर गोयल ने एफएसटी, एसएसटी को निर्देशित किया कि हमारा कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जांच करना है, इसका उद्देश्य आमजन, व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं करना है। सभी टीम जनसामान्य को अनावश्यक परेशान किए बिना जांच की कार्यवाही करें।

कलेक्टर गोयल ने आदर्श आचार संहिता के दौरान शराब तस्करी, कैश, ड्रग्स एवं बड़ी मात्रा में सामग्रियों के परिवहन पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के वाहनों की जांच के दौरान वीडियो बनाना सुनिश्चित करें। संदिग्ध व्यक्ति अथवा बड़ी रकम मिलने पर सोर्स की जानकारी ले एवं संदेह होने पर कार्यवाही करें। विभागीय कैश वाहनों के साथ बैंकों के क्यूआर लगे कैश वाहनों के मूवमेंट को प्रभावित किया बिना जांच सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, एडिशनल एसपी संजय महादेवा, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त, सीएसपी अभिनव उपाध्याय, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, जीएसटी अधिकारी पैकरा एवं रागिनी सिंह सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480